पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का आकलन और प्रबंधन

प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक मानक 1*

प्रस्तावित ईएसएस1 किस बारे में है?

एडीबी द्वारा वित्तपोषित या प्रशासित सभी परियोजनाओं के लिए कर्जदार /ग्राहक द्वारा पर्यावरण और लोगों पर पड़ने वाले जोखिमों और प्रभावों का मूल्यांकन आवश्यक है। प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक मानक 1 (ईएसएस1) एडीबी के प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक रूपरेखा (ईएसएफ)का व्यापक मानक है जिसमें किसी परियोजना के लिए एकीकृत पर्यावरणीय और सामाजिक (ईएंडएस) मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार का उल्लेख है। इसे परियोजना के संभावित जोखिमों और प्रभावों के आधार पर जोखिम-आधारित और आनुपातिक तरीके से किया जाएगा। प्रस्तावित मानक सेफगार्ड पॉलिसी विवरण(2009) के तहत ई एंड एस मूल्यांकन और प्रबंधन आवश्यकताओं पर आधारित है।

* ईएसएस1 का पूरा पाठ सुरक्षा नीति समीक्षा: मसौदा नीति। एशियाई विकास बैंक (adb.org). https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy पर है। यह सूचना विवरणिका प्रस्तावित पर्यावरण और सामाजिक रूपरेखा (ईएसएफ) संबंधी परामर्श मसौदे के आधार पर केवल सूचनार्थ तैयार की गई थी। Q4 2023 में निर्धारित वर्किंग पेपर के हिस्से के रूप में प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक रूपरेखा (ईएसएफ) के पूर्ण पाठ पर एडीबी निदेशक मंडल से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। अंतिम ईएसएफ पर 2024 में एडीबी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।

SAFEGUARD POLICY REVIEW AND UPDATE

ADB

इस मानक के उद्देश्य हैं:

- परियोजना के पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिमों और प्रभावों की जांच, आकलन, प्रबंधन और निगिरानी करना;
- एक शमन पदानुक्रम दृष्टिकोण अपनाना;
- आवश्यक है कि परियोजना पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से मजबूत और सतत हो, और परियोजना निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरणीय एवं सामाजिक विचारों के एकीकरण का समर्थन करती हो;
- लैंगिक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए विभेदित उपाय अपनाए जाएं ताकि वंचित या कमजोर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे परियोजना के परिणामस्वरूप होने वाले विकास लाभों और अवसरों को साझा करने में वंचित न हों; और
- बेहतर पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रदर्शन को बढ़ावा दें, ऐसे तरीकों से जो उधारकर्ता/ग्राहक क्षमता को पहचानें और बढ़ावा दें।

यह प्रस्तावित मानक निर्धारित करता है कि उधारकर्ता/ग्राहक किसी परियोजना के दौरान उत्पन्न होने वाले संभावित ई एंड एस जोखिमों और प्रभावों की पहचान कैसे करेगा, ऐसे जोखिमों और प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन कैसे करेगा, और शमन पदानुक्रम कैसे लागू करेगा। चिन्हित जोखिमों और प्रभावों के आधार पर, कर्जदार/ग्राहक जांच करेगा कि कौन से अन्य ईएसएस परियोजना के लिए प्रासंगिक हैं और पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन का दायरा स्थापित करने में उन्हें शामिल करेगा। मूल्यांकन में परियोजना के डिजाइन के बारे में सूचना दी जाएगी और शमन उपायों और कार्यों की पहचान करके निर्णय लेने में सुधार के लिए उपयोग किया जाएगा। पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का मूल्यांकन और प्रबंधन परियोजना चक्र में व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा, और संभावित जोखिमों और प्रभावों की प्रकृति और पैमाने के अनुपात में होगा। इसका तात्पर्य है, जिसे परियोजना में महत्वपूर्ण ई एंड एस प्रभावों की संभावना है, उसे अधिक व्यापक ईएंडएस मूल्यांकन की आवश्यकता होगी

नए और बेहतर नीतिगत प्रावधान क्या हैं?

1 एकीकृत पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन

कर्जदार/ग्राहक किसी परियोजना के सभी प्रत्यक्ष, परोक्ष और संचयी ई एंड एस जोखिमों तथा प्रभावों का आकलन करेंगे जैसे कि प्रासंगिक ई एंड एस कारकों पर ई एंड एस जोखिमों और प्रभावों की अन्योन्याश्रयता के आदगार पर समग्र तरीके से विचार किया जाता है।

2 पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों पर विचार

पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम और प्रभाव जो किसी परियोजना के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, उनका उल्लेख ईएसएसएस2-10 में किया गया है, और इसमें श्रम और कार्य परिस्थितियां, प्रदूषण, परियोजना श्रमिकों और समुदायों की संरक्षा और सुरक्षा, जैव विविधता, सांस्कृतिक विरासत, जलवायु परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण और भूमि उपयोग प्रतिबंध, स्वदेशीजन, और वंचित या कमजोर वर्गों को होने वाले जोखिम; डेटा गोपनीयता; वंचित या कमजोर पर गैर-अनुपातिक रूप से होने वाले प्रभाव; और लिंग से संबंधित जोखिम शामिल हैं।

3 संबद्ध सुविधाओं पर पर्यावरणीय और सामाजिक अपेक्षाओं का अनुप्रयोग

“संबद्ध सुविधाओं” की परिभाषा को परिष्कृत किया गया है और अब यह उन नई सुविधाओं को संदर्भित करती है जो एडीबी द्वारा वित्त पोषित नहीं हैं और निम्नलिखित तीन शर्तों को पूरा करती हैं: (i) सीधे और महत्वपूर्ण रूप से संबंधित; (ii) समसामयिक रूप से विकसित अथवा नियोजित; और (iii) परियोजना के व्यवहार्य होने के लिए आवश्यक हैं और यदि परियोजना अस्तित्व में नहीं होती तो विकसित नहीं हुई होती। पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानक संबंधित सुविधाओं पर कर्जदार/ग्राहक के नियंत्रण/संबंधित सुविधाओं पर प्रभाव की सीमा तक लागू होते हैं।

4 वंचित या कमजोर समूहों के जोखिमों का समाधान करने के लिए मजबूत प्रावधान

पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, कर्जदार/ग्राहक यह तय करेगा कि क्या कोई परियोजना प्रभावित व्यक्ति हैं जो अपने वंचित या कमजोर स्थिति के कारण किसी परियोजना से असंगत रूप से प्रभावित हो सकते हैं। जहां ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाती है, कर्जदार/ग्राहक परियोजना की परिस्थितियों और देश के संदर्भ के आधार पर विभेदित उपायों को डिजाइन और कार्यान्वित करेंगे, ताकि प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके और उन पर असंगत रूप से न गिरे, और वे परियोजना लाभों और अवसरों में समान रूप से साझा करते हैं।

5 **पर्यावरणीय और सामाजिक तत्परता में सुधार**

संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानक के तहत सभी पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन अपेक्षाओं की पहचान की जानी है और एक परियोजना की पर्यावरणीय और सामाजिक तैयारी को बढ़ाने के लिए एडीबी की संतुष्टि के लिए संभव सीमा तक शुरू की जानी है।

6 **पर्यावरण और सामाजिक प्रतिबद्धता/कार्य योजना का उपयोग करके जोखिम-आधारित अनुकूली प्रबंधन का उपयोग**

पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन की समीक्षा के आधार पर, एडीबी और कर्जदार/ग्राहक जोखिम आधारित अनुकूली प्रबंधन दृष्टिकोण के तहत, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रतिबद्धता योजना या कार्य योजना (ईएससीपी/ईएसएपी) नामक उपकरण पर सहमत होंगे। इस योजना में ईएसएस की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय और कारवाई शामिल होंगी और परियोजना के अनुमोदन के बाद निर्दिष्ट समय सीमा में कार्यान्वित की जाएंगी। कर्जदार/ग्राहक के परियोजना के ईएंडएस प्रदर्शन की निगिरानी ईएससीपी/ईएसएपी की अपेक्षाओं के अनुसार की जाएगी, जो किसी परियोजना के संभावित जोखिमों और प्रभावों के अनुपात में होगी। ईएससीपी/ईएसएपी के मसौदे का यथाशीघ्र खुलासा किया जाएगा।

7 **सह-वित्तपोषित परियोजनाओं में एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाना**

एडीबी, सह-वित्तपोषक, और कर्जदार/ग्राहक किसी परियोजना के मूल्यांकन, विकास और कार्यान्वयन में एक सामान्य दृष्टिकोण पर सहमत हो सकते हैं जहां ऐसा दृष्टिकोण ईएसएस के अनुरूप किसी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है।

8 **निगरानी**

रिपोर्टिंग आवृत्ति उच्च और पर्याप्त जोखिमों के लिए अर्धवार्षिक है, और मध्यम और कम जोखिमों के लिए कम से कम वार्षिक है, या एडीबी और कर्जदार/ग्राहक के बीच ईएससीपी/ईएसएपी में हुई सहमति के अनुसार परिलक्षित होती है।

9 **कर्जदार/ग्राहक द्वारा ठेकेदारों का प्रबंधन**

कर्जदार/ग्राहक को यह आवश्यक होगा कि परियोजना पर लगे सभी ठेकेदार और उप-ठेकेदार प्रासंगिक ईएसएस और ईएससीपी की आवश्यकताओं के अनुरूप तरीके से काम करें।

ASIAN DEVELOPMENT BANK
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO)
© 2023 ADB. The CC license does not apply to non-ADB copyright materials in this publication.
https://www.adb.org/terms-use#openaccess http://www.adb.org/publications/corrigenda Publication Stock No. ARMXXXXXX-X

Printed on recycled paper